राज्य सरकार ने वन स्वरूप क्षेत्रों के निर्धारण हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित किए हैं, जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2008 को स्वीकार कर लिया गया है :–

वन स्वरुप निर्धारण का मानक :–

- वृक्षों की प्रति हेक्टेयर न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगी :–

भौगोलिक क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्रफल (हे0)	वृक्षों की न्यूनतम संख्या (प्रति हे0)
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	100
तराई एवं मैदानी क्षेत्र	2	50

- वृक्षों से तात्पर्य प्राकृतिक रुप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्षों से है।
- वृक्षों की संख्या की गणना में झाड़ी एवं रुटस्टाक सम्मिलित नही होगा।
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल का आधार गाटा संख्या वार होगा। परन्तु निजी भूमि के प्रकरण में जहॉ एक गाटा में कई व्यक्तियों के नाम मिंजूमूला के रुप में दर्ज है वहॉ प्रत्येक मिंजूमूला प्लाट का क्षेत्रफल के मापदण्ड हेतु आधार माना जायेगा।
- निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरुप क्षेत्रों हेतु चिन्हित नही किये जायेगें।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार उद्धरित किया जा रहा है :–

ITEM NOS.301+302 COURT NO.1 SECTION PIL

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

I.A.No.1784 in 703 In W.P.(C)No.202/1995

T.N. GODAVARMAN THIRUMULPAD Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS Respondent(s)
(for seeking leave to regularise pre-1980 encroachment of Doyang Reserve Forest)

AND

I.A.No.979 in I.A.Nos.443, 1204, 1245, 1357 & 2110 in WP(C) No.202/1995
(For recommendation of C.E.C in I.A.No.443, report of C.E.C. in I.A.NO.979, direction and
exemption from filing O.T.)
WITH
I.A.NOs.991, 1004, 1185, 1273, 1280, 1294, 1443, 1611, 2018 & 2073 in
in
W.P.(C)no.202/1995

(For recommendation of C.E.C. regarding illegal mining in Chousil Reserve Forest Lalitpur
U.P. & direction and exemption from filing O.T.)

AND
I.A.No.1354 in 1154 in W.P.(C)No.202/1995
(Recommendation of C.E.C. in I.A.No.1154 & directions)

AND
I.A.Nos.1358 in I.A.No.992 in W.P.(C)no.202/1995
(Recommendation of CEC in I.A.No.992 and directions)

AND
I.A.Nos.1362-1363 in W.P.(C)No.202/1995
(For modification & direction & interim stay and recommendation of CEC)

AND

W.P.(C)No.202/1995 etc.

I.A.Nos.1373, 1389 & 1696 in W.P.(C)No.202/1995
(For directions and note on I.A.No.1373)

AND
I.A.No.1383 in W.P.(C)no.202/1995
(State of Forest report, 2003)

AND
I.A.No.1433 & 1477 in W.P.(C)No.202/1995
(For directions & exemption from filing O.T.)

AND

SLP(C)No.25068/2005 (With prayer for interim relief)

AND

SLP(C)No.21322/2007 (With appln.(s) for c/delay and exemption from filing c/c of the
impugned order and with prayer for interim relief)

WITH

SLP(C)No.22718/2007 (With prayer for interim relief and office report)

I.A.No.2142 in 2071 in W.P.(C)No.202/1995(For impleadment)

Date: 11/01/2008 These applications were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE DR. JUSTICE ARIJIT PASAYAT
HON'BLE MR. JUSTICE S.H. KAPADIA

Mr. Harish N. Salve, Sr. Adv. (A.C.)

Mr. U.U. Lalit, Sr. Adv. (A.C.)(NP)

Mr.Siddhartha Chowdhury, Adv.(A.C.)

For the petitioner(s) Mr.P.K.Manohar, Adv.

In person (NP)

in SLP(C)No.21322 Mr.Tapesh Kumar Singh, Adv.
Mr.Dinesh Chandra Pandey, Adv.

Mr.Ajit Kumar Sinha, Adv.

For the respondent(s)/ Mr.G.E.Vahanvati, Sol.Genl.for India
applicant(s) Mr.R.MOhan, ASG
Ms.K.Amareswari, Sr.Adv.
Mr.Haris Beeran, Adv.
For Mr.P.Parmeswaran, Adv.

I.A.No.991 Mr.Ranjit Kumar, Sr.Adv.
Mr.V.B.SIngh, Sr.Adv.
Mr.Virendra Parmar, Adv.
Ms.Sunita Singh,Adv.
Mr.Varun, Adv.
Ms.Shefali Jain, Adv.

Ms.Binu Tamta, Adv.
Mrs.Sushma Suri, Adv.

I.A.NO.1784 Mr.Ng.J.R.Luwang, Adv.
Mr.Riku Sarma, Adv.
For M/s.Corporate Law Group, Advs.

Mr.K.K.Venugopal, Sr.Adv.
Mr.S.U.K.Sagar, Adv.
Ms.Bina Madhavan, Adv.
Mr.Hemal K.Sheth, Adv.
For M/s.Lawyers' Knit & Co., Advs.

Mr.Manish Goswami, Adv.
Mr.Ashok Panigrahi,Adv.
For M/s.MAP & CO., Advs.

For Intervenor Mr.S.Balaji, Adv.
Ms.Lakshmi Jayashankar,Adv.

Mr.M.L.Lahoty, Adv.
Mr.Paban K.Sharma, Adv.

Mrs.Rachana Srivastava, Adv.

Ms.Rani Chhabra, Adv.

Mrs.Shobha Dixit, Sr.Adv.
Mr.Anil Kr.Jha, Adv.

M/s.Fox Mandal & Co., Advs.

Mr.J.K.Bhatia, Adv.

Mr.Sridhar Potaraju, Adv.

Mr.Pramod Dayal, Adv.

Mr.Anil Kr.Srivastava, Adv.
Mr.Ritu Raj, Adv.

Mr.Ramenswar Prasad Goyal, Adv.(NP)

Mr.V.K.Verma, Adv.

Mr.Ajit Pudussery, Adv.

Mr.G.Prakash, Adv.

Ms.Suparna Srivastava, Stg.Counsel
Mr.Manish Sharma, ADv.
Mr.Rajesh Srivastava, Adv.

Mr.Jitendra Mohan Sharma, Adv.

Mr.Gopal Singh, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following
ORDER

I.A.No.979 in I.A.Nos.443, 1204, 1245, 1357 & 2110 in WP(C) No.202/1995:

These matters relate to the identification of the "forest like areas" in the various districts in the State of Uttar Pradesh. Now the guidelines have been issued as to how these areas are to be identified. Learned senior counsel for the State of Uttar Pradesh submits that steps would be

taken to identify "forest like areas" in all the districts in the State of Uttar Pradesh within a period of four months and such areas would be handed over to the Forest Department except the private areas, if any.

ITEM NO.MM-E COURT NO.1 SECTION PIL

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

I.A.No._____In W.P.(C)No.202/1995

T.N. GODAVARMAN THIRUMULPAD Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS Respondent(s)

Date: 11/01/2008 This application was mentioned today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE DR. JUSTICE ARIJIT PASAYAT
HON'BLE MR. JUSTICE S.H. KAPADIA

Mr. Harish N.Salve, Sr. Adv. (A.C.)

For the petitioner(s) :Mr.P.K.Manohar, Adv.

For the respondent(s)/ applicant(s) :Mr.Rajiv Dutta, Sr.Adv.(Mentioned by) Mr.D.K.Garg, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following
ORDER

List on 25.1.2008.

(G.V.Ramana)
Court Master

(Veera Verma)
Court Master

(Mentioned slip enclosed)

ITEM NO.MM-F COURT NO.1 SECTION PIL

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

I.A.No.2101 In W.P.(C)No.202/1995

T.N. GODAVARMAN THIRUMULPAD Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS Respondent(s)

Date: 11/01/2008 This application was mentioned today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE DR. JUSTICE ARIJIT PASAYAT
HON'BLE MR. JUSTICE S.H. KAPADIA

Mr. Harish N.Salve, Sr. Adv. (A.C.)

For the petitioner(s) :Mr.P.K.Manohar, Adv.

For the respondent(s)/ applicant(s) :Mrs.Rekha Pandey, Adv.(Mentioned by) Mr.D.K.Garg, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following

ORDER

List on 25.1.2008.

(G.V.Ramana)
Court Master

(Veera Verma)
Court Master

(Mentioned slip enclosed)

दिनांक 20.06.08 को प्रमुख वन संरक्षक/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

रिट पिटीशन संख्या–202/95 टी0एन0 गोडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य के कम में आई0ए0 संख्या–979 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु शासनादेश संख्या–7116/14–2–1996, दिनांक 23 दिसम्बर 1996 द्वारा जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था । उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–700/14–4–49 (एल)/2004, दिनांक 08.06.04 द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया। शासनादेश संख्या–3583/14–2–2007–49 (एल)/2004, दिनांक 17.12.07 द्वारा राज्य स्तरीय समिति के गठन में आंशिक संशोधन किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 19.12.07 को बैठक आयोजित कर वन रूवरूप क्षेत्रों की परिभाषा एवं वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु मानक निर्धारित कर अपनी संस्तुतियां प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से पत्र संख्या–275/पी0ए0/आई0ए0 979 (वन स्वरूप), दिनांक 20.12.07 से शासन को प्रस्तुत कर दी। शासन द्वारा उक्त संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु परिभाषा एवं मानक, शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश में वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वन स्वरूप क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कम में शासनादेश संख्या–120/14–2–2008/49 (एल0), दिनांक 18.01.08 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त जिला स्तरीय समितियों को निर्देशित किया था कि वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हांकन कर विस्तृत सूचना निर्धारित तिथि तक राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत कर दी जाए।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के 67 जनपदों से प्राप्त वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हांकन की सूचनाओं का परीक्षण कर राज्य स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां शासन को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र 1076/35–3–2, दिनांक 06 मई, 2008 से प्रेषित की गई थी। जनपद लखीमपुर, बलरामपुर, चित्रकूट की सूचनायें उस समय तक अप्राप्त थीं। इन जनपदों की सूचनायें प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 20.06.2008 को राज्य स्तरीय समिति द्वारा इन सूचनाओं का परीक्षण किया गया। इन 03 जनपदों में कुल 252 गाटों में वन स्वरूप चिन्हित किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल

25/6/08

3842.642 हे0 है। इनमें से 240 गाटे ग्राम समाज (क्षेत्रफल 3777.033 है0) तथा 12 गाटे (क्षेत्रफल 65.609 है0) निजी क्षेत्र में चिन्हित किये गये **(संलग्नक–1)**

उक्त 03 जनपदों के अतिरिक्त जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत पड़ने वाले कैमूर वन्य जीव प्रभाग में वन स्वरूप क्षेत्र चिन्हित करने की सूचना भी जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त हुई। यद्यपि पूर्व में जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपद मिर्जापुर में वन स्वरूप क्षेत्र शून्य इंगित किया गया था, किन्तु जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत पड़ने वाले कैमूर वन्य जीव प्रभाग में वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हॉकन की कार्यवाही उस समय तक पूरी नहीं हुई थी। यह कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा समानान्तर रूप से की जा रही थी। किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा जो वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हॉकन हेतु नोडल अधिकारी थे, द्वारा इस तथ्य से समिति को अवगत नहीं कराया गया। फलस्वरूप दिनांक 06 मई, 2008 को शासन को प्रस्तुत समिति की संस्तुति में मिर्जापुर की सूचना शून्य अंकित की गयी थी। किन्तु दिनांक 20.06. 2008 को जनपद मिर्जापुर की जिलास्तरीय समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार मिर्जापुर जनपद में भी 10 गाटों में वन स्वरूप चिन्हित किया गया है। ऐसी स्थिति में मिर्जापुर जनपद की सूचना को संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः मिर्जापुर जनपद की सूचना को संशोधित करते हुये नवीन सूचना के आधार पर मिर्जापुर जनपद में 10 गाटे (क्षेत्रफल 213.115 है0) वन स्वरूप के रूप में चिन्हित किये गये हैं। **संलग्नक–1 (1)**

इस प्रकार प्रदेश के कुल 70 जनपदों में से 41 जनपदों में वन स्वरूप शून्य है।

29 जनपदों में कुल 698 गाटो में (क्षेत्रफल 8645.201 है0) वन स्वरूप चिन्हित किया गया है। इनमें ग्राम समाज में 620 गाटे (क्षेत्रफल 7751.843 है0), राजकीय भूमि पर एक गाटा (क्षेत्रफल 14.00 है0) एवं निजी गाटे 77 (क्षेत्रफल 879.358 है0) चिन्हित किये गये हैं **(संलग्नक–2, 2 (1), 2 (2)** वन स्वरूप के प्रबन्धन, सीमांकन एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समिति की पूर्व प्रेषित संस्तुतियां प्रदेश के सभी जनपदों के लिये हैं।

समिति इन संस्तुतियों को पुनः दोहराती है।

(1) ग्राम समाज क्षेत्रों हेतु समिति यह संस्तुति देती है कि सामुदायिक एवं ग्राम समाज की भूमि उत्तर प्रदेश शासन को हस्तान्तरित कर उन्हें संगत् अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर, ग्राम वन घोषित करके संयुक्त वन प्रबन्ध के माध्यम से प्रबन्धित किया जाये।

(2) निजी भूमि के वन स्वरूप क्षेत्रों को माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को हस्तान्तरित नहीं किया जाना है। इनके प्रबन्धन के विषय में यह सुझाव दिया जाता है कि इनका

25/6/08

प्रबन्धन एक कार्ययोजना के माध्यम से किया जाये तथा यह कार्ययोजना शासकीय खर्च पर वन विभाग द्वारा बनाई जाये।

(3) समिति यह संस्तुति करती है कि अन्तिम रूप से संस्तुति "वन स्वरूप क्षेत्र" का ग्रामवार एवं गाटा संख्या दर्शाते हुये मानचित्र तैयार कर जिला स्तरीय समिति को मौके पर इसका सीमांकन करने की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किया जाय।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(ममता संजीव दूबे)
वन संरक्षक (नियोजन)/
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

(एस0के0 दत्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
सदस्य,
राज्य स्तरीय समिति,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(मोहम्मद अहसन)
प्रबन्ध निदेशक/
सदस्य
राज्य स्तरीय समिति,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डी0एन0एस0 सुमन)
प्रमुख वन संरक्षक,
वन्य जीव/
सदस्य,
राज्य स्तरीय समिति
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक/अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

संलग्नक–1

वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना
जनपद लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, चित्रकूट

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
1.	बलरामपुर	1	8.000
2.	लखीमपुर	17	165.048
3.	चित्रकूट	234	3669.594
	योग	252	3842.642

ग्राम समाज की भूमि से सम्बन्धी वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
1	बलरामपुर	1	8.000
2	लखीमपुर	12	129.764
3	चित्रकूट	227	3639.269
	योग	240	3777.033

निजी भूमि से सम्बन्धी वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
1	लखीमपुर	5	35.284
2	चित्रकूट	7	30.325
	योग	12	65.609

25/6/08

संलग्नक–1 (2)

जनपद मिर्जापुर में वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
1	मिर्जापुर	10	213.115
	योग	10	213.115

सभी गाटे निजि भूमि के हैं।

25/6/08

संलग्नक–2

उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना (कुल गाटे)

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड क्षेत्र बरेली			
1.	बदायूं	3	8.048
2.	शाहजहांपुर	2	12.327
3.	महामायानगर	4	24.606
4.	मथुरा	6	46.916
5.	पीलीभीत	5	22.795
	योग	**21**	**114.596**
मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र लखनऊ			
6.	सीतापुर	1	2.241
7.	रायबरेली	6	24.357
8.	गोण्डा	7	31.794
9.	अम्बेडकर नगर	6	23.598
10.	बहराइच	4	10.609
11.	बलरामपुर	1	8.000
12.	लखीमपुर	17	165.048
	योग	**42**	**265.647**
मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, इलाहाबाद			
13.	गाजीपुर	1	7.533
14.	जौनपुर	19	74.419
15.	सोनभद्र	98	2067.604
16.	इलाहाबाद	1	136.88
17	मिर्जापुर	10	213.115
	योग	**129**	**2499.551**
मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर			
18.	बस्ती	1	3.932
19.	सिद्धार्थनगर	1	4.310
20.	आजमगढ़	6	91.185
21.	महाराजगंज	11	186.357
	योग	**19**	**285.784**
मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी			
22.	ललितपुर	29 + 1 (राजकीय) *	404.027 + 14.00 (राजकीय) *
23.	झाँसी	22	137.060
24.	इटावा	139	580.219
25.	हमीरपुर	25	342.115
26.	महोबा	25	213.620
27.	बांदा	10	108.584
28.	कानपुर नगर	2	10.284
29	चित्रकूट	234	3669.594
	योग	**487**	**5479.623**
	महायोग	**698**	**8645.201**

* भू–स्वामी सिंचाई विभाग है।

नोट :– 41 जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना शून्य है।

25/6/08

संलग्नक– 2 (1)

ग्राम समाज की भूमि से सम्बन्धी वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड क्षेत्र बरेली			
1.	बदायूँ	3	8.048
2.	महामायानगर	4	24.508
3.	मथुरा	4	32.445
	योग	**11**	**65.001**
मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र लखनऊ			
4.	सीतापुर	1	2.241
5.	रायबरेली	6	24.357
6.	गोण्डा	7	31.794
7.	अम्बेडकर नगर	6	23.598
8.	बहराइच	2	5.186
9	बलरामपुर	1	8.000
10.	लखीमपुर	12	129.764
	योग	**35**	**224.940**
मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, इलाहाबाद			
11.	गाजीपुर	1	7.533
12.	जौनपुर	19	74.419
13.	सोनभद्र	69	1855.509
	योग	**89**	**1937.461**
मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर			
14.	बस्ती	1	3.932
15.	सिद्धार्थनगर	1	4.310
16.	आजमगढ	6	91.185
	योग	**8**	**99.427**
मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी			
17.	ललितपुर	29 + 1 (राजकीय) *	404.027 + 14.00 (राजकीय) *
18.	झाँसी	22	137.080
19.	इटावा	139	580.219
20.	हमीरपुर	25	342.115
21.	महोबा	25	213.620
22.	बांदा	10	108.684
23.	चित्रकूट	227	3639.269
	योग	**478**	**5439.014**
	महायोग	**621**	**7765.843**

* भू–स्वामी सिंचाई विभाग है।

25/6/08

संलग्नक– 2 (2)

निजी भूमि से सम्बन्धी वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना

क्रम सं0	जनपद	कुल गाटा	वन स्वरूप का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4
मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड क्षेत्र बरेली			
1.	शाहजहाँपुर	2	12.327
2.	मथुरा	2	11.280 + 3.193 (ट्रस्ट भूमि)
3.	पीलीभीत	6	22.795
	योग	10	49.595
मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय लखनऊ			
4.	बहराइच	2	5.423
5.	लखीमपुर	5	35.284
	योग	7	40.707
मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, इलाहाबाद			
6.	इलाहाबाद	1	136.88 (ट्रस्ट भूमि)
7.	सोनभद्र	26 + 3	195.875 + 16.22 (बंजर, कास्त, सरकारी)
8.	मिर्जापुर	10	213.115
	योग	40	562.090
मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर			
9.	महराजगंज	11	166.357
मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड, झाँसी			
10.	कानपुर नगर	2	10.284
11.	चित्रकूट	7	30.325
	योग	9	40.609
	महायोग	77	879.358

उक्त कार्यवृत्त का अनुमोदन शासन के पत्र संख्या रिट–493 / 14–02–2008–40 (एल) / 2004 दिनांक 27.10.2008 द्वारा कर दिया गया है।

सम्बन्धित जिले के प्रभागीय वनाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।